



श्रम एवं जयते

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त - संगठन

मैनुअल - 1

श्रमायुक्त - संगठन की विशिष्टयां,
कृत्य एवं कर्तव्य

(2)

मैनुअल-1

- 1- श्रम विभागों को उद्देश्य/विनियमन 4
- 2- श्रम विभाग का इतिहास एवं कार्य 5
- 3- श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची 6-7
- 4- श्रम विभाग के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा 8-9
- 5- श्रम विभाग की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु 10-11
जनसहयोग अपेक्षाएँ विधि-व्यवस्था एवं
कार्यालय के पते
- 6- श्रम विभाग का ढांचा एवं बोर्ड 12-35
सम्बन्धित शासनादेशों का संकलन

श्रम विभाग श्रमायुक्त संगठन, उत्तराखण्ड

• श्रम विभाग का उद्देश्य

भारत के संविधान द्वारा विभिन्न मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुये संविधान के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है; अनुच्छेद 16 के अनुसार रोजगार के समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है; अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव-व्यापार तथा बेगारी को निषिद्ध किया गया है; अनुच्छेद-21 (1) (86 जी Amendment Act, 2002 द्वारा) 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा; अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का रोजगार निषिद्ध किया गया है। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 38 द्वारा लोक कल्याण; अनुच्छेद 39 द्वारा समान कार्य के लिये महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी भुगतान तथा जीवन यापन के समान अवसर (अनुच्छेद 42 द्वारा कार्य की उचित एवं मानवीय दशाओं एवं मातृका हितलाभ; अनुच्छेद 43 के अनुसार कर्मकारों के लिये जीने योग्य मजदूरी तथा decent जीवन स्तर; अनुच्छेद 46 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य निर्बल वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति आदि हेतु व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत भी श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार अपेक्षित होते हैं।

अतः भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधानों, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों (Conventions) की अपेक्षाओं के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार (श्रम विषय समवर्ती सूची में होने के कारण) द्वारा विभिन्न श्रम कानून विनिर्मित किये गये हैं, राज्य की इन्हीं प्रतिबद्धताओं के निर्वहन हेतु श्रम विभाग का गठन किया गया है।

• श्रम विभाग का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी तथा सर्वप्रथम श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक पूर्णकालिक श्रम अधिकारी की नियुक्ति की गई, सन् 1938 में एक आई०सी०एस० आफिसर को अर्शकालिक श्रम आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 1940 में विभिन्न श्रम मामलों एवं श्रम अधिनियमों के प्रशासन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक पूर्णकालिक श्रम आयुक्त की नियुक्ति की गई। निदेशालय कारखाना एवं ब्वायलर की स्थापना वर्ष 1910 में की जा चुकी थी, जोकि बाद में श्रमायुक्त के नियंत्रणाधीन हो गया। श्रम विभाग की स्थापना से पूर्व भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, व्यावसायिक संघों का अधिनियम, 1926, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 मुख्य रूप से अधिनियमित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कारखाना अधिनियम, 1948 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, संविदा श्रम अधिनियम, 1970, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, बागान श्रम अधिनियम, 1951, बंधुवा श्रम अधिनियम, 1976, बाल श्रम अधिनियम, 1986 आदि मुख्यतः अधिनियमित किये गये, जिनका प्रवर्तन कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश में औद्योगिक विवादों का निपटारा उत्तरांचल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत किया जा रहा है तथा महिला कर्मिकों को विशिष्ट सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु पृथक से श्रम कानूनों को अधिनियमित किया गया जो कि मुख्य रूप से मातृका हितलाभ अधिनियम, 1961 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 9 नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल में श्रमायुक्त संगठन की स्थापना हुई, उत्तरांचल शासन द्वारा वर्ष 2001 में शासनादेश संख्या 2605/औ०वि०/147-श्रम/2001 दिनांक 3.12.2001 के द्वारा श्रमायुक्त संगठन की संरचना स्वीकृत की गयी, जिसके अनुसार श्रमायुक्त, श्रम विभाग, उत्तरांचल के विभागाध्यक्ष हैं, जिनका मुख्यालय श्रम भवन, हल्द्वानी (नैनीताल) में स्थापित हैं। सर्वप्रथम वर्ष 2002 में तथा उत्तरोत्तर श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन एवं विधिक आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लागू अधिकांश श्रम अधिनियमों एवं नियमावलियों को अनुकूलित एवं उपान्तरित कर लिया गया। वर्ष 1996 में भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया गया तथा उत्तरांचल सरकार द्वारा वर्ष 2005 में उत्तरांचल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2005 पारित की गयी। महिला श्रमिकों के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उत्तरांचल सरकार ने वर्ष 2001 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मामले में दिये गये निर्णय के अनुसार परिभाषित यौन उत्पीड़न को राज्य में प्रभावी प्रासंगिक श्रम अधिनियमों में दुराचरण में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान में श्रम विभाग श्रम कानूनों के प्रवर्तन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सौहार्दपूर्ण सुरक्षा एवं शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने में प्रयासरत है।

• श्रम विभाग के कार्य

- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्द बनाने में सहयोग देना। कारखानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्यदशाओं को सुनिश्चित करना।
- औद्योगिक विवादों एवं श्रमिक शिकायतों का निस्तारण करना।
- श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ तथा सुरक्षा उपायों का लाभ सुनिश्चित करना, जैसे न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान, ग्रेच्युटी, समान कार्य के लिए महिला श्रमिकों को समान वेतन, बोनस भुगतान, दुर्घटना के कारण अपंग कर्मकारों एवं मृत कर्मकारों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान आदि से सम्बन्धित दावों का निस्तारण करना।
- बाल एवं बंधुवा श्रमिकों का चिन्हीकरण एवं पुनर्वास करना/कराना।
- श्रम न्यायालय के एवार्डों का परिपालन करना
- ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण/नवीनीकरण कार्य द्वारा भी श्रमिकों के हितों को संरक्षित करना।
- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क, लाईसेन्स शुल्क, दावों में वाद व्यय आदि के द्वारा राजस्व प्राप्त करना।
- श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण
- श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का संक्षिप्त विवरण:-
 1. विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कराना।
 2. प्रदेश में औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायता करना।
 3. निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/लाईसेंसिंग करना:-
 - i) उत्तरांचल दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962
 - ii) संविदा श्रम अधिनियम, 1970
 - iii) अन्तर्राष्ट्रियक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
 - iv) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 19
 - v) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
 - vi) कारखाना अधिनियम, 1948
 - vii) ब्वायलर अधिनियम, 1923
 4. निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत दावों का निस्तारण कर भुगतान कराना:-
 - i) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 - i) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

- iii) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- iv) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- v) आनुतोषित भुगतान अधिनियम, 1972
- 5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्राप्त सी0पी0/सी0बी0 एवं अन्य औद्योगिक विवादों का निस्तारण करना एवं श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करना।
- 6. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के एवाडों का प्रतिपालन कराना।
- 7. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त उपालम्भों का निस्तारण करना।
- 8. बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना, विद्यालयों में प्रवेश कराना आदि।
- 9. बंधुवा श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत जिला प्रशासन से समन्वय कर बंधुवा श्रमिकों का चिन्हीकरण करना एवं पुनर्वास कराने में सहयोग करना।
- 10. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत श्रमिकों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित आलेखों को प्रमाणित करना।
- 11. ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनो का पंजीकरण करना।

श्रमायुक्त संगठन, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त

मुख्यालय हल्द्वानी	क्षेत्रीय कार्यालय	कारखाना प्रभाग (मुख्यालय हल्द्वानी)
उप श्रमायुक्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी		उप निदेशक
कारखाना/ब्यायलर		

सहायक श्रमायुक्त मुख्यालय (3) देहरादून	मुख्य अन्वेशक/ सहा. लेखाधिकारी	सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर
--	-----------------------------------	---------------------------------

गढ़वाल क्षेत्र

कुमायूँ क्षेत्र

अपर श्रमायुक्त देहरादून

उप श्रमायुक्त हल्द्वानी

उप श्रमायुक्त देहरादून

सहा, श्रमायुक्त देहरादून	सहा, श्रमायुक्त ऋषिकेश	सहा, श्रमायुक्त हरिद्वार	सहा, श्रमायुक्त हल्द्वानी	सहा, श्रमायुक्त उधमसिंहनगर	सहा. श्रमायुक्त अल्मोडा
श्रम प्रवर्तन अधि.	श्रम प्रवर्तन अधि.	श्रम प्रवर्तन अधि.	श्रम प्रवर्तन अधि.	श्रम प्रवर्तन अधि.	श्रम प्रवर्तन अधि.
देहरादून	ऋषिकेश	हरिद्वार	हल्द्वानी	उधमसिंहनगर	अल्मोडा
कोटद्वार	टिहरी	रूडकी	रामनगर	काशीपुर	पिथौरागढ़
गोपेष्वर			टनकपुर	किच्छ	
रूद्रप्रयाग			सहायक ट्रेड यूनियन	खटीमा	
उत्तरकाशी			हितकारी अधीक्षक (पन्तनगर)	हितकारी अधीक्षक (काशीपुर)	
सहायक ट्रेड यूनियन					

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

(न्यायालय एवं बोर्ड)

औद्योगिक श्रम न्यायालय राज्य सलाहकार राज्य स्तरीय न्यूनतम वेतन भवन एवं अन्य
न्यायाधिकरण संविदा श्रम बोर्ड सतर्कता समिति सलाहकार बोर्ड कर्मकार बोर्ड

श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय
हल्द्वानी काशीपुर हरिद्वार देहरादून

नोट-शासन के पत्र संख्या 1612/VIII /100-श्रम/2006 दिनांक 18-12-2006 द्वारा श्रम न्यायालय काशीपुर
श्रम न्यायालय हरिद्वार का सृजन किया जा चुका है।

श्रम विभाग की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ

राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जनपद स्तर एवं परगना स्तर पर गठित बोर्डों, परिषदों एवं समितियों में जन प्रतिनिधियों को सदस्य बनाकर उनके अमूल्य सुझाव प्राप्त किये जाते हैं। साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं से भी कार्यदक्षता बढ़ाने में सहयोग लिया जाता है। समय-समय पर आयोजित विभिन्न सेमीनारों, बैठकों व कार्यशालाओं के माध्यम से भी विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु सुझाव लिये जाते हैं। गैर सरकारी संस्थाओं से बाल श्रम एवं बंधुवा श्रम जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम हेतु जनजागरण एवं सामाजिक बुराई दूर करने के लिये अपेक्षा की जाती रही है। श्रमिक संगठनों द्वारा न्यूनतम वेतन एवं अन्य श्रम समस्याओं, औद्योगिक शान्ति बनाये रखने हेतु सहयोग की अपेक्षा की जाती रही है।

● जन सहयोग सुनिश्चित करने की विधि/व्यवस्था

जनसहयोग प्राप्त करने हेतु राज्य में राज्य संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, श्रम कल्याण परिषद्, कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु औद्योगिक क्षेत्र के लिये गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित मण्डल स्तरीय सतर्कता समिति, उत्तरांचल वैक्यूअम पैन चीनी मिल त्रिदलीय समिति, राज्य स्तरीय बंधुवा श्रम स्टैंडिंग कमेटी, जिला स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति एवं परगना स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समितिया व राज्य में विभिन्न कारखानों में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, उत्तरांचल चैप्टर का गठन किया गया है, जो कि कारखानों में सुरक्षा के प्रति जागरूक रखने का कार्य करती है, श्रम अधिनियमों के अधीन गठित की गयी हैं, जिनमें जन प्रतिनिधियों को अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में शासन द्वारा नामित किया जाता है।

● जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं निराकरण की व्यवस्था

जन शिकायतों एवं प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभागीय कार्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं।

● मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

कार्यालय आवास

1. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन नैनीताल रोड़, हल्द्वानी -224214 224214
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, 298, हिमगिरि विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून----- 2622852
3. उप श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, श्रम भवन नैनीताल रोड़, हल्द्वानी - 222032 -
4. उप निदेशक कारखाना एवं ब्वायलर, श्रम भवन, हल्द्वानी- 282849 -
5. सहायक निदेशक कारखाना एवं ब्वायलर, सर्कुलर रोड़, देहरादून-2712848 -
6. सहायक श्रमायुक्त, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर-
7. सहायक श्रमायुक्त, रघुवीर निवास, देवपुरा, हरिद्वार----- 265222
8. सहायक श्रमायुक्त, देहरादून रोड़, ऋषिकेश-----

श्रमायुक्त संगठन, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त

मुख्यालय हल्द्वानी
उप श्रमायुक्त उत्तराखण्ड
हल्द्वानी
कारखाना/ब्यायलर

क्षेत्रीय कार्यालय

कारखाना प्रभाग

(मुख्यालय हल्द्वानी)

उप निदेशक

सहायक
मुख्यालय (3)
देहरादून

श्रमायुक्त

मुख्य अन्वेषक/

सहा. लेखाधिकारी

सहायक निदेशक

कारखाना/ब्यायलर

गढ़वाल क्षेत्र

कुमायूँ क्षेत्र

अपर श्रमायुक्त देहरादून

उप श्रमायुक्त हल्द्वानी

उप श्रमायुक्त देहरादून

सहा, श्रमायुक्त
देहरादून

सहा, श्रमायुक्त
ऋषिकेश

सहा, श्रमायुक्त
हरिद्वार

सहा, श्रमायुक्त
हल्द्वानी

सहा, श्रमायुक्त
उधमसिंहनगर

सहा. श्रमायुक्त
अल्मोडा

श्रम प्रवर्तन अधि.

श्रम प्रवर्तन अधि.

श्रम प्रवर्तन अधि.

श्रम प्रवर्तन अधि.

श्रम प्रवर्तन अधि.

श्रम प्रवर्तन अधि.

देहरादून

ऋषिकेश

हरिद्वार

हल्द्वानी

उधमसिंहनगर

अल्मोडा

कोटद्वार

टिहरी

रूडकी

रामनगर

काशीपुर

पिथौरागढ़

गोपेष्वर

टनकपुर

किच्छ

रूद्रप्रयाग

सहायक ट्रेड यूनियन खटीमा

उत्तरकाशी

हितकारी अधीक्षक

हितकारी अधीक्षक

सहायक ट्रेड यूनियन

(पन्तनगर)

(काशीपुर)